

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 1457/14-1 दिनांक:मैनपुरी:दिसम्बर 18, 2017

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मैनपुरी ।

विषय:- जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद - भोगौव राज्य मार्ग संख्या- 84 के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल0 6.56 कि0मी0) कुल लम्बाई 25.66 कि0मी0 तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 4645 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पं0 1503/मैनपुरी/ 25364 दि0 01-12-2017 एवं वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा का पं0 293/14-1 दिनोंक 13-12-2017

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आपत्तियों लगाई गई है । अतः आप किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर प्रस्ताव की मूल प्रतियों उपरोक्त कार्यालय एवं वन संरक्षक आगरा कार्यालय से प्राप्त कर उस पर अपने विभाग से अपेक्षित आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्ताव की समस्त आपत्तियों का निराकरण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें ।

संलग्नक:- सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रांक 1457 / दिनोंकित
प्रतिलिपि वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी